# प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 1192 सन 2021
अनवान :–

1. कृष्णलाल पुत्र ओंकार जाति गुसाईं निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. पन्नाराम पुत्र औकार जाति गुसाई निवासी अरडकी तहसील नोहर ।
2. भादरराम पुत्र औकार जाति गुसाई निवासी अरडकी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :– 12.12.2021**

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 137/129 के खसरा न0 344 की 7.9670हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम मुस्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार संयुक्त खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा व आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 राजस्व रिकार्ड में मुश्तकरा खातेदार काश्तकार दर्ज है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज हे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने भूमि काश्त की सुविधा एवं आवागम की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 भूमि काश्त करते आ रहे है राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमादे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनो के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.डी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हको को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 137/129 के खसरा न0 344 की 7.9670हैक्ट भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम मुश्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार संयुक्त खाते मे दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा व आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एव न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 137/129 की के खसरा न0 344 की 7.9670हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 पन्नाराम के पास खसरा न0 344 में उत्तरी दिशा में 1.644हैक्ट एवं खसरा न0 345 की 1.5180हैक्ट भूमि रहेगी तथा खसरा न0 344/1 मे पन्नाराम के दक्षिण में 3.1615हैक्ट वादी कृष्णलाल के पास रहेगी एव कृष्णलाल के दक्षिण में खसरा न0 344/2 की 3.1615हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 मादरराम के पास रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... अरडकी

Scanned with CamScanner

# प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. कृष्णलाल पुत्र ओंकार जाति गुसाईं निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 पन्नाराम पुत्र औंकार जाति गुसाईं निवासी अरडकी तहसील नोहर ।
2. भादरराम पुत्र औंकार जाति गुसाईं निवासी अरडकी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 1192 सन 2021 निर्णय दिनांक– 12.12.2021**

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 137 / 129 की के खसरा न0 344 की 7.9670हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 पन्नाराम के पास खसरा न0 344 में उत्तरी दिशा में 1.644हैक एवं खसरा न0 345 की 1.5180हैक भूमि रहेगी तथा खसरा न0 344 / 1 में पन्नाराम के दक्षिण में 3.1615हैक वादी कृष्णलाल के पास रहेगी एव कृष्णलाल के दक्षिण में खसरा न0 344 / 2 की 3.1615हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 भादरराम के पास रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....अरडकी

Scanned with CamScanner